प्रतिलिपि आदेश दिनांक 11-8-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर प्र0क्र0 निग0 2144-तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 30-4-14 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक मण्डल पृथ्वीपुर प्रकरणक्रमांक रा0नि/14 विवा0।

कमलसिंह तनय छक्कसिंह ठाकुर
निवासी बिन्दुपुरा वार्ड न0 14
पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ म0प्र0 --- आवेदक

विरूद्ध

तहसीलदार महोदय पृथ्वीपुर
तहसील पृथ्वीपुर
जिला टीकमगढ म0प्र0 अन्य-9 --- अनावेदकगण

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों ... आवकों आदि के हस्ताक्षर
23.7.14	[illegible]	
11.8.2014	म. प. भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त पृथ्वीपुर व्दारा तहसीलदार पृथ्वीपुर को प्रस्तुत सीमांकन प्रतिवेदन क. रा. नि./14 दिनांक 30–4–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक को ग्राह्यता पर सुना तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक ने बताया कि राजस्व निरीक्षकों की टीम ने मौके पर कोई सीमांकन नहीं किया, कार्यालय में बैठक तैयार किये अभिलेख पर सीमांकन प्रतिवेदन दिया है जो गलत है । निगरानी सुनवाई में ली जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगाया जावे। 4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन दि. 30–4–14 के अवलोकन से ग्राम बिन्दपुरा के शासकीय शाला भवन की भूमि स. क. 710/1/1/2 का राजस्व निरीक्षकों एंव पटवारियों के गठित दल ने दि. 29–4–14 को मौके की स्थिति अनुसार सीमांकन कर प्रतिवेदन दिया गया है, जो अंतिम नहीं है क्योंकि सीमांकन पर निर्णय तहसीलदार व्दारा लिया जाना है और आवेदक को तहसीलदार के समक्ष अपना पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है। 5/ जहां तक सीमांकन मौके पर न किये जाने वावत् उठाई गई आपत्ति का प्रश्न है ? सीमांकन दल व्दारा ग्राम में मौके पर पहुंचकर सीमांकन कार्यवाही करने के उपरांत ग्रामीणों के समक्ष पंचनामा बनाया है जिस पर सभी ग्रामीणों के हस्ताक्षर हैं। सीमांकन प्रतिवेदन के अवलोकन से यह तथ्य भी परिलक्षित है कि आवेदक एंव अन्य 8 व्यक्ति शासकीय शाला भवन की भूमि पर मकान बनाकर अतिक्रमण किये हुये हैं वैसे भी यदि आवेदक निर्मित किये गये मकान की भूमि स्वयं की होना सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रमाणित करे, वह निज भूमि का सीमांकन कराने हेतु स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में आवेदक व्दारा की गई निगरानी सारहीन पाये जाने से अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप	12-8-14

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 2144– तीन/2014 जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर

करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

सदस्य